न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :-प्रियंका दुदानी बनाम राजस्थान आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :- 60/2024

निर्णय दिनांक :- 18/06/2025

प्रियंका दुदानी पत्नी मोहित दुद्वानी जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 13 साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
2. उम्मेदसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
3. कृष्ण कंवर पुत्री बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर
4. गिरवरसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
5. मेघसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
6. मंजू कंवर पुत्री बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
7. रतन कंवर पुत्री बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर
8. श्रवणसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
9. जयवीरसिंह पुत्र हड़मानसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर
10. रूकमणी पुत्री हड़मानसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर
11. राजेन्द्रसिंह पुत्र हड़मानसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
12. लक्ष्मणसिंह पुत्र हड़मानसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
13. लाल कंवर पत्नी हड़मानसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
14. सुरेन्द्रसिंह पुत्र हड़मानसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
15. भंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू
16. ममता कंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील व जिला चूरू
17. सुनिता कंवर पत्नी भैरोसिंह जाति राजपूत निवासी अग्रसेन नगर डी-144 चूरू जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :-1. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी सं. 1

-: निर्णय :-

प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 111, 128,129 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया की कृषिभूमि खाता सं. 269 के खेत खसरा नं. 857/853 तादादी 0. 3794 हेक्टेयर, खसरा नं. 859/855 तादादी 2.1497 हेक्टेयर कुल तादादी 2. 5291 हेक्टेयर रोही मौजा तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है।
प्रार्थीया के खेत के पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण सं. 2 ता 8 के खेत खसरा नं. 240, प्रार्थीया के खेत के दक्षिण तरफ सड़क सरदारशहर-तारानगर, प्रार्थीया के खेत के उतरी तरफ अप्रार्थीगण सं.

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

9 ता 15 के खेत खसरा नं. 485/242 व 484/242, तथा प्रार्थीया के खेत के पश्चिमी तरफ अप्रार्थी सं. 16 व 17 के खेत खसरा नं. 858/855, 856/853 के खेत लगते है। अप्रार्थीगण लालची व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो आये दिन सींव के विवाद को लेकर प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा करते रहते है तथा प्रार्थीया की गैर मौजूदगी में प्रार्थीया की कृषिभूमि की सींव को खुर्द बुर्द करते रहते है तथा उसकी कृषिभूमि को अपनी भूमि में मिलाने की कोशिश करते रहते है। अब प्रार्थीया अपनी उक्त कृषिभूमि के चारों तरफ पटियां रोपकर तारबंदी करना चाहती है ताकि उसके खेत की सुरक्षा हो सके तथा आवारा पशुओं से फसल की रक्षा हो सके तथा किसी पडौसी के साथ सींव सम्बंधी कोई विवाद न हो। इसलिये प्रार्थीया दिनांक 05.04. 2025 को अपनी कृषिभूमि की तारबंदी करने लगी तो अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा करने लगे तथा प्रार्थीया को अपने खेत की सींव पर तारबंदी करने से रोक दिया तब प्रार्थीया ने ओलमा दिया तो अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 ने कहा कि हम तुझे तारबंदी नहीं करने देगें जबकि प्रार्थीया अपनी ही कृषिभूमि की सींव पर तारबंदी कर रही थी। प्रार्थीया जो एक शांत स्वभाव की महिला है जो किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती है इस कारण प्रार्थीया अपनी कृषिभूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी कराना चाहती है। ताकि भविष्य में किसी पड़ौसी के साथ सीमा को लेकर कोई विवाद न हो तथा प्रार्थीया के खेत की सींव नष्ट न हो। इस कारण पैमाईश कराकर पत्थरगढी करानी न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीया सं. 1 तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया व हल्का पटवारी से भी कहा तो उन्होंनें कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ हम तभी सीमाज्ञान कर वहां पर पत्थरगढी करवा देगें। न्यायालय के आदेश बिना हम पत्थर गढी नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि, अप्रार्थीया सं. 1 को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीया की कृषिभूमि खाता सं. 269 के खेत खसरा नं. 857/853 तादादी 0.3794 हेक्टेयर, खसरा नं. 859/855 तादादी 2.1497 हेक्टेयर कुल तादादी 2.5291 हेक्टेयर रोही मौजा तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू का सीमाज्ञान कराकर पत्थर गढी करने की कृपा करें।

इस कारण प्रार्थीया ने न्यायालय में अपने खेत की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित उन्होंने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 ना ही असलातन व ना ही वकालतन उपस्थित आये। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया कृषि भूमि खाता सं. 269 के खसरा नं. 857/853 तादादी 0. 3794 हेक्टेयर, खसरा नं. 859/855 तादादी 2.1497 हेक्टेयर कुल तादादी 2.5291 हेक्टेयर रोही मौजा तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू की रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थीया अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं। वर्णित विवेचन से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना –पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक **कृषि भूमि खाता सं. 269 के खसरा नं. 857/853 तादादी 0.3794 हेक्टेयर, खसरा नं. 859/855 तादादी 2.1497 हेक्टेयर कुल तादादी 2.5291 हेक्टेयर** रोही मौजा तोगावास तहसील तारानगर जिला चूरू सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18/06/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)